८१

संख्या-10/2021/396/आठ–1–21–03बैठक/13 टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवामें,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2021**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के सम्बंध में।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत परामर्श दिया जाता हैः–

(1) गुण–अवगुण के आधार पर अपने निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखते हुए प्रस्ताव पारित होने की दशा में आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी 02 वर्षों हेतु ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित MCLR दर में 01 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ रख सकेंगे।

(2) उपरोक्त प्रस्ताव पारित होने पर किश्तों का समय से भुगतान न करने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त परामर्श के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

ARHC.G.O..C.M

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

ARHC.G.O..C.M